


13.6.18 पत्रावली राखाले लोअ अडाएल आरिपति
के अरु लेन केन्द्र का जि. पापंदा कंसा
में पेश हई। वहीन आरि उपाधर।
विशाली उपाधर। वरु सुते उरि
कोर पत्रावली का अवरुकर विना
अरि। अरिने पत्रा कि अरु अरुवाडी


उपखण्ड अधिकारी
शिणधरी

विशाली अरु अरु
शिणधरी

की खाना नं. 113 यांगत खाना
 खाना 113/2 व खाना खाना
 की खाना नं. 543, 555 कुल खाना
 27-03 कीया के तत्कालीन खाना
 होगा की खाना खाना के खाना
 की/खाना के खाना के खाना के खाना
 खाना खाना-खाना खाना 204 व
 205 के खाना का नाम केवल खाना
 खाना खाना/खाना खाना का खाना
 नाम शान्तिमाल है। खाना के खाना नाम
 शान्तिमाल खाना के खाना
 खाना-खाना खाना खाना खाना
 की खाना है। खाना खाना के खाना
 खाना खाना खाना - खाना
 खाना, खाना, खाना
 के खाना का शान्तिमाल नाम खाना
 है। खाना खाना के खाना व खाना
 के खाना खाना खाना के खाना
 खाना के खाना खाना है, खाना
 खाना खाना खाना है, खाना
 खाना खाना खाना के खाना नाम
 खाना है खाना है, खाना खाना का
 खाना नाम शान्तिमाल है जो खाना
 खाना खाना खाना खाना के खाना
 खाना के खाना, खाना खाना
 का खाना नाम शान्तिमाल है।


 उपखण्ड अधिकारी
 सिपधरी

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

23

सेवामें


सेवा में
उत्तर का नाम
राम

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपनी
का विवाहित स्त्री में गलत नाम रजिस्ट्र
हो रहा है. उक्त वालकि नाम
शाहिलाल है और तहसीलदार लिखा
ने अपनी जांच रिपोर्ट में अपनी
वालकि नाम शाहिलाल दुरुल करने की
अनुशंसा की है।

शिवदा सुनी का आवेदन बाबत
लोक अदालत का मत को प्रत्यक्ष
रखते हुए सूचीबद्ध किताब जांच ग्राम
मलखरी की खता संख्या 113/2 संख्या
15-01 वीदा व ग्राम पापल कला की
तहसील लिखनी की खता संख्या
543, 555 कुल संख्या 27-03 वीदा
श्री के बाबत रिपोर्ट (जमावदी)
में अशुद्ध उक्ति अ. अंश पुत्र होगा
के स्थान अंश राम अ. शाहिलाल पुत्र
होगा दुरुल किसे जाने के कारण
पारित किसे जाते है। शेष बूला रहेगा

आदेश आज दिनांक 13.6.18 को
मामों का सुनाया गया।

जमावदी के कुल सुनाया है।
द्वारकेल दलाल है।


उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

सिणधरी